न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 127 / 2024 GCMS NO. 2024/270 उनवानी रतिराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत नाम दुरूस्ती	
18.11.2024	पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता वादी उपस्थित आये। अधिवक्ता वादी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। वादी ने हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है वाके ग्राम नयानगर पटवार हल्का मेहाड़ा जाटूवास स्थित जमाबन्दी अन्तिम चौसाला संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 37 में वादी के गलत दर्ज नाम **यादराम पुत्र दयाला** के स्थान पर वादी के सही नाम **रतिराम पुत्र दयालाराम** उद्‌घोषणा की जावे तथा तदुपरान्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम नयानगर पटवार हल्का मेहाड़ा जाटूवास की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 37 में वादी का नाम यादराम पुत्र दयाला दर्ज रिकार्ड है। वादी के समस्त पहचान दस्तावेजात् में **रतिराम पुत्र दयालाराम** दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी के पहचान दस्तावेजों में रतिराम पुत्र दयालाराम दर्ज है। वादी को बचपन में ग्राम व परिवार के लोग यादराम के नाम से पुकारते थे। तहसीलदार खेतड़ी ने यादराम पुत्र दयाला के स्थान पर रतिराम पुत्र दयालाराम शुद्ध करने की अभिशंषा की है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2024 / 641 दिनांक 23.07.2024 में की गई अनुशंषा के आधार पर वादी का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा **–: आदेश :–** अतः वादी का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम नयानगर पटवार हल्का मेहाडा जाटूवास की हाल जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 37 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि **यादराम पुत्र दयाला** के स्थान पर **रतिराम पुत्र दयालाराम** शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष [illegible] यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार [illegible] खेतडी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। [illegible] अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बंशी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी	

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dh
Date: 2024.12.09 17:21:44 IS
Reason: SelfAttested